

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/उन्नीस-1/ब्याज भुगतान/3271 /2024, लखनऊ: दिनांक: सितम्बर 13 ,2024

:-संशोधित आदेश:-

मुख्यालय के पूर्व आदेशांक-वा0क0अधि0/उन्नीस-1/ब्याज भुगतान/2301/2024 द्वारा श्री बी0एन0वर्मा, से0नि0आशुलिपिक पीठ अलीगढ़ को दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2023 तक की अवधि में कुल आगणित ब्याज की धनराशि रू0 10,014/- का भुगतान अनुदान सं0 62 लेखाशीर्षक-2071-01-115-03702 के मद में किये जाने की अनुमति सदस्य पीठ अलीगढ़ को प्रदान की गयी थी।

सदस्य पीठ-अलीगढ़ ने अपने पत्र सं0-195/24 दिनांक 11.09.2024 द्वारा ब्याज भुगतान के आदेश में कोषागार अलीगढ़ द्वारा लेखाशीर्षक त्रुटिपूर्ण मानते हुए लेखाशीर्षक-2071-01-115-03702 के स्थान पर लेखाशीर्षक 2071018000900 अंकित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः मुख्यालय के पूर्व आदेश संख्या वा0क0अधि0/उन्नीस-1/ब्याज भुगतान/2301/2024 में आंशिक संशोधन करते हुए लेखाशीर्षक-2071-01-115-03702 के स्थान पर लेखाशीर्षक 2071018000900 पढ़ा जाए।

ह0/-13.09.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन-वा0क0अधि0/ उन्नीस-1/ब्याज भुगतान/3271 /2024, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ, अलीगढ़ (डी0डी0ओ0) को इस निर्देश के साथ कि श्री बी0एन0 वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक पीठ, अलीगढ़ के ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मुख्यालय अवगत करायें।

2-कोषाधिकारी, अलीगढ़।

3-वरिष्ठ सहायक रिट, मुख्यालय।

4-वरिष्ठ सहायक (लेखा) पीठ, अलीगढ़।

5- श्री बी0एन0 वर्मा, सेवानिवृत्त आशुलिपिक सदस्य पीठ, अलीगढ़। द्वारा सदस्य पीठ, अलीगढ़।

ह0/-13.09.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से

(तरुण कुमार)

निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।